राशन डिपो के लिए अब 25 तक कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता ● हांसी : प्रदेश में राशन डिपो आवंटित करवाने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं को सरकार ने आवेदन करने का एक और अवसर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दी गई है।

डीसी राहुल नरवाल ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक बढ़ाई गई समय सीमा का लाभ उठाकर निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा करवा सकते हैं। इस पहल से राशन वितरण व्यवस्था बेहतर होने के साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राशन डिपो आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है। डीसी ने बताया कि इस पहल का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 अक्टूबर 2026 को किया था। इसका उद्देश्य गरीब एवं पात्र परिवारों को उनके निवास के नजदीक राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी, जहां वर्तमान में उचित मूल्य की दुकान दूर होने के कारण कार्डधारकों को राशन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पात्रता की शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने पात्र युवाओं और महिलाओं से अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन जमा करवाने का आह्वान किया।